जल रहा विद्रोह का मशाल, पात्र-अपात्र से मच रहा बवाल

94 दिन का हुआ एनटीपीसी विरोध में चल रहा आंदोलन

रायगढ़। हड़ताल चौक छपोरा में 20 मार्च 2018 से शुरू हुए आंदोलन का आज 94 दिन हो गया और क्रमिक भूख

हड़ताल का 38 दिन हो गया। जहां आंदोलन के रूप में अपनी तिमाही अवधि पूरी होने के पश्चात आंदोलनकारी अब आंदोलन को नया स्वरूप देने में जुटे हुए हैं। आंदोलन के नए रुप का प्रभाव आसपास क्षेत्र में देखा जा सकता है। जहां अपने पूर्वजों की जमीन को अपात्र बताकर प्रशासन ने नौकरी और पुनर्वास लाभ को ले कर हाथ खड़े कर दिए हैं। वही इस बात को लेकर पूरे 9 गांव में आक्रोश का माहौल है, भू-विस्थापितों में एनटीपीसी को लेकर पिछले 6 साल से जिस तरह से आंदोलन की आग धीरे-धीरे सुलग रही है। आप वहां 94 दिन में एक मशाल बन गई है, विद्रोह की मशाल को समर्थन एवं जागरूकता के माध्यम से पूरे 9 गांव में घुमाया जा रहा है। जिसको पीड़ित भू-विस्थापितों द्वारा पूरा-पूरा समर्थन दिया जा रहा है। इस तरह से आगामी दिनों में आंदोलन का नया स्वरूप देखने को मिल सकता है। जोकि एनटीपीसी के विरोध में चल रहे आंदोलन को आर-पार की लड़ाई की अभिव्यक्ति को चरितार्थ करेगा।

वीजा खत्म होने पर भारतीय युवक मलेशिया में गिरफ्तार, सुषमा से लगायी गुहार

नई दिल्ली। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से विदेश में फंसे एक और भारतीय को बचाने की अपील की है। मध्यप्रदेश के रायसेन जिले के बीलाखेड़ी गांव के एक युवक को वीजा खत्म होने पर मलेशिया की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिजन ने क्षेत्रीय सांसद और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से उसे भारत लाने की गुहार लगाई है।

जिले की गोहरगंज तहसील के ग्राम बीलाखेड़ी निवासी वीरसिंह चौहान को दवा कंपनी ने मलेशिया भेजा था, जहां वीजा की अवधि खत्म होने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वीरसिंह की पत्नी रक्षा चौहान ने बताया कि उसके पति मलेशिया की एक दवा कंपनी में नौकरी करते हैं।

विधिक सहायता हेतु सामाजिक न्याय संघ से लगाई गुहार

♦ कोतरा रोड चौड़ीकरण से परेशान हैं छोटे-छोटे व्यवसायी आज तक

♦ आज तक नहीं हो पाया व्यवस्थापन और ना ही मिला मुआवजा

♦ अब रोजी-रोटी की समस्या से चिंतित और भी बहुत से हैं इस मामले में पीड़ित

♦ माननीय उच्चा-न्यायालय के आदेश का भी किया उल्लेख

नितिन रामटेके
पीड़ित

राधेश्याम यादव
गवाह-1

प्रकाश राव
गवाह-2

रायगढ़। अपने आवेदन में नितिन रामटेके आ. स्व. मुन्ना रामटेके, उम्र 33 वर्ष लगभग, निवासी वार्ड नं. 01 कोतरा रोड, राजीवनगर, रायगढ़, छग मो.नं. 95899XXXXX का होकर के कहा कि मेरे पिता मुन्ना रामटेके, जो कि अब काफी वृद्ध हो चुके हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, को उक्त संदर्भित स्थान पर अन्त्यावसायी अंतर्गत स्वावलंबन योजना के तहत् एक दुकान क्र. 02 प्रदान की गई थीं। जो कि, सड़क चौड़ी करने के अभियान के दौरान तोड़ दी गई। उक्त दुकान को तोड़े जाने के पूर्व नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा दिनॉक 27/12/2012 को हमें सूचना जारी की गई कि, नगर पालिक निगम के द्वारा मेरी जो दुकान तोड़ी जा रही है, उसका मुआवजा मिलेगा, साथ ही हमें दुकान के लिए ले-आऊट जारी कर जगह दी जावेगी, जिस पर हमें निर्माण स्वयं कराना होगा। उक्त आश्वासन के बाद मेरे पिता एवं मैंने सोचा कि सड़क चौड़ीकरण होने के बाद भी हमें सड़क के किनारे जगह दी जा रही है, तो हमने उक्त के आधार पर अपने चलते हुए बिजनेस की दुकान को तोड़ने सम्बंधी कार्यवाही में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और ना ही कोई आपत्ति उक्त

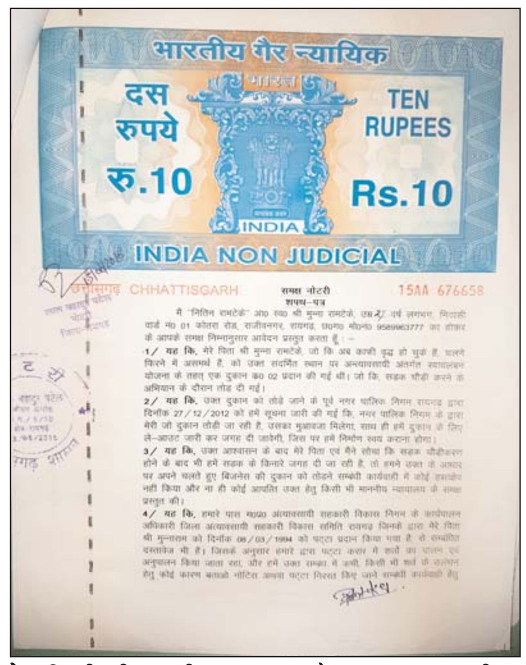
भारतीय गैर न्यायिक
दस रुपये रु.10
TEN RUPEES Rs.10
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
CHHATTISGARH
समक्ष नोटरी
शपथ-पत्र
15AA 676658

हेतु किसी भी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की। कहा कि, हमारे पास मप्र अंत्यावसायी सहकारी विकास निगम के कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति रायगढ़ जिनके द्वारा मेरे पिता श्री मुन्नाराम को दिनांक 08/03/1994 को पट्टा प्रदान किया गया है, से सम्बंधित दस्तावेज भी हैं। जिसके अनुसार हमारे द्वारा पट्टा करार में शर्तो का पालन एवं अनुपालन किया जाता रहा, और हमें उक्त सम्बंध में कभी, किसी भी शर्त के उलंघन हेतु कोई कारण बताओ नोटिस अथवा पट्टा निरस्त किए जाने सम्बंधी कार्यवाही हेतु संस्थित नहीं किया गया जो कि जाहिर करता है कि, हमारे द्वारा करार में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किया जाता रहा।

कहा कि, हमारे साथ उक्त सम्बंध में अन्याय हुआ है और अब मेरे पिता के वृद्ध एवं अस्वस्थ होने के कारण मेरे द्वारा पूरे परिवार की जिम्मेदारी सम्भाली जा रही है, मैं बेहद परेशान हूं और मानसिक एवं आर्थिक समस्या से जूझ रहा हूॅं। अतः न्यायोचित कार्यवाही कराए जाने हेतु यह आवेदन आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ में प्रस्तुत है।

अपने आवेदन के साथ पीड़ित नितिन ने माननीय उच्च-न्यायालय के द्वारा दिनांक 03/02/2016 को रिट पिटिशन क्र. 2187/2015 में प्रकाश राव कुमरे एवं अन्य 1 वि. मुनिस्पल कॉरपोरेशन, रायगढ़ एवं अन्य 02 में जारी किए गए निर्देश का उल्लेख भी किया है, जिसमें माननीय उच्च-न्यायालय ने कहा है कि - At this stage, this petition is finally disposed off with a direction to Nazul Officer, Raigarh to consider petitioners application for allotment of land in accordance with government scheme and existing rules and regulations with regard of nazul land. This decision should be taken within a period of four months from the date of receipt of a copy of this order. - कहा कि इस आदेश से स्पष्ट है कि, मुझे भी मेरे एवं परिवार के जीवन-यापन के लिए किए जाने वाले व्यवसाय हेतु नजूल की जमीन दी जा सकती है, जो कि अभी तक नहीं किया गया, जो कि मेरे लिए बेहद मानसिक कष्ट बना रहा है, जिसपर तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। कहा कि, मेरा आपसे निवेदन है कि मैं पीड़ित हूं और बहुत परेशान हूं, मैं यह आवेदन मय दस्तावेज आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ के माध्यम से मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रहा हूॅं। इस पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कराया जाकर न्याय दिलाए जाने की कृपा की जावे।

सामाजिक न्याय संघ ने पीड़ित के समस्त दस्तावेजों के साथ प्रकरण को श्रीमान् राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, सचिव, डिपार्टमेंट ऑफअरबन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रुरल डेव्लपमेंट, कमिश्नर, महोदय, बिलासपुर मंडल, कलेक्टर, रायगढ़, नजूल अधिकारी,आयुक्त महोदय, महापौर महोदय, एवं सलीम नियारिया, सभापति, नगर पालिक निगम, रायगढ़, छग को भेजा है, जिसपर तत्काल कार्यवाही किए जाने की आशा व्यक्त की गई है।

विधवा आदिवासी महिला को प्रताड़ित किए जाने की शिकायत

सामाजिक न्याय संघ को दिया गया आवेदन

जानकी सिदार
पीड़ित

संजय राठौर
गवाह-1

मोंगरा देवांगन
गवाह-2

रायगढ़। पीड़िता ने अपने आवेदन में कहा कि, मैं जानकी सिदार जौ.जे.स्व. प्रेमलाल, उम्र 42 वर्ष लगभग, निवासी रामबाग के पीछे, मोदीपारा, कोतरा रोड, रायगढ़, थाना कोतवाली रायगढ़, जिला रायगढ़, छग, मो.नं. 81036XXXXX, की रहने वाली होकर ये शिकायत आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूं कि, मैं आदिवासी समाज से आने वाली महिला हूं और मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बंगुरसिंया में कार्यरत् हूं। मेरे पति का स्वर्गवास हो चुका है, और मैं अपने बच्चो एवं वृद्ध माता के साथ उक्त पते में रहती हूं। कहा कि, एक व्यक्ति शर्मा ने नगर-पालिक निगम द्वारा घोषित रोड के उपर मकान बनाया और मुझे अन्यथा प्रताड़ित कर रहा है। मुझे मेरे घर में बने हुए दरवाजे को खोले जाने से मना करता है, गाली-गलौज करता है, और बोलता है कि दरवाजा पीछे से खोल लो। कहा कि, ये व्यक्ति मेरे घर के सामने गेट में गाय बांधता है, जो कि चोरी की गाय थीं, जिसे उसका मालिक मांगने आया तब भी उसको गाय नहीं दिया और, पुलिस के आने और बोले जाने के बाद गाय को वापस किया। उसी गाय को मेरे घर के दरवाजे में बांधता था, जिससे मैं और मेरा परिवार बेहद परेशान थें। कहा कि, अब उक्त रमेश शर्मा मेरे घर के सामने चार पहिए की पिकअप अथवा मारुति गाड़ी जिसका नम्बंर सीजी 04 डी 7443 है, खड़ी कर देता है, जिससे हम लोगों को निकलने में परेशानी होती है। इसके साथ ही हमारे घर के गेट पर अपनी मोटरसाईकिल भी खड़ी कर देता है, हटाओ कहने से, चाबी नहीं है, कहता है, जो कि बेहद आपत्तिजनक है, और जिसपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

अपने आवेदन में कहा कि, आपत्ति करने से आस-पास में रहने वाले छोटे तपके के व्यक्तियों को मांस-शराब आदि प्रदान करके रात में घर के सामने गंदगी कराता हैं, और गन्दी गाली-गलौज कराता हैं, ताकि मैं अपनी जमीन को छोड़ दूं, कहीं और चली जाउ, जो कि बेहद आपत्तिजनक है, और जिसपर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

कहा कि, आपसे निवेदन है कि मैं पीड़ित हूं और बहुत परेशान हूं, मैं यह आवेदन मय दस्तावेज आपके समक्ष सामाजिक न्याय संघ के माध्यम से मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर रही हूॅं। इस पर तत्काल प्रभाव

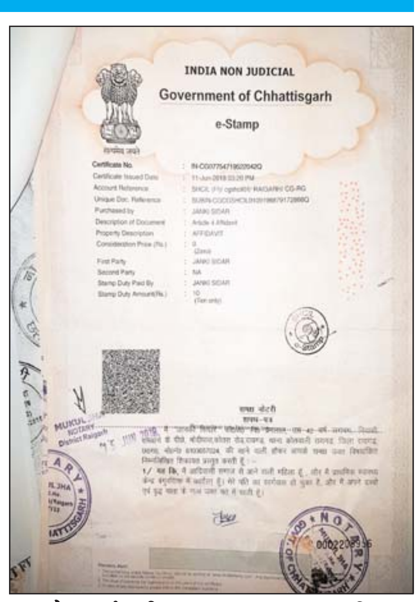
INDIA NON JUDICIAL
Government of Chhattisgarh
e-Stamp
Certificate No.
Certificate Issued Date
Account Reference
Unique Doc. Reference
Purchased by : JANKI SIDAR
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.) : 0
First Party : JANKI SIDAR
Second Party : NA
Stamp Duty Paid By : JANKI SIDAR
Stamp Duty Amount(Rs.) : 10
समक्ष नोटरी
शपथ-पत्र

से कार्यवाही कराया जाकर न्याय दिलाए जाने की कृपा की जावे।

सामाजिक न्याय संघ ने पीड़ित के समस्त दस्तावेजों के साथ प्रकरण को श्रीमान् राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, पुलिस महानिदेशक, पुलिसमहानिरीक्षक, कलेक्टर रायगढ़, एसपी रायगढ़,आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़, महापौर महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़, सलीम नियारिया, सभापति, नगर पालिक निगम, एवं थाना प्रभारी, थाना कोतवाली, जिला रायगढ़, को भेजा है, जिस पर तत्काल कार्यवाही किए जाने की आशा व्यक्त की गई है।

चायवाले की बेटी को मिली 2 करोड़ की स्कॉलरशिप

अगर आप बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होता। यह बात एक बार फिर उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की 17 वर्षीय सुदीक्षा भाटी ने सच कर दिखाई है। सुदीक्षा के पिता चाय बेचते हैं और उन्हें अमेरिका के नामी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए 1.92 करोड़ रुपये की स्कॉलरशिप मिली है।

सुदीक्षा बुलंदशहर के धूम मनिकपुर गांव में रहती है। यहीं उसके पिता की एक छोटी-सी चाय की दुकान है। पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए साल 2009 में सुदीक्षा पर स्कूल छोड़ने पर दबाव पड़ा, लेकिन उसने हालात के आगे हथियार नहीं डाले। कड़ी मेहनत जारी रखी और आज सुदीक्षा ने अपना सपना पूरा कर लिया है। सुदीक्षा अब अगले चार साल तक अमेरिका के नामी बैबसॉन कॉलेज में पढ़ाई करेगी।

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र की

खरसिया,सारंगढ़, पुसौर, तमनार,घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

SJU Social Justice Union

सामाजिक न्याय संघ

शासन से मान्यता प्राप्त
Registered with Govt. No. 5526

अधिकार से न्याय तक

क्या आपको लगता है कि सभी को जीने का समान अधिकार होना चाहिए और प्रत्येक पीड़ित मानव की भरसक सहायता की जानी चाहिए, तो, आईये हमारे साथ, हम सब मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें।

छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त जिले, तहसील, विकास खण्ड अथवा किसी भी ग्राम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार की न्यायिक, गैर-न्यायिक, सामाजिक, राजनीतिक या गैर- राजनीतिक समस्या हो, तो समस्या को सुलझाने एवं न्याय प्राप्ति हेतु आवेदन आमंत्रित हैं।

हमारी उपलब्धियां

शासकीय मान्यता प्राप्त संघ में ऊर्जावान कर्मठ पदाधिकारियों एवं सदस्यों की आवश्यकता है। जो भी इस संस्था से जुड़कर कार्य करना चाहते हों वे अपने समस्त बायोडाटा के साथ सामाजिक न्याय संघ के निम्नांकित कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

आवश्यकता है

क्र.	स्थान	पद
1	रायगढ़ जिला एवं समस्त ब्लॉक	45
2	सरगुजा जिला एवं समस्त ब्लॉक	35
3	जशपुर जिला एवं एवं समस्त ब्लॉक	40
4	कोरबा जिला एवं समस्त ब्लॉक	25
5	जांजगीर-चांपा जिला एवं समस्त ब्लॉक	50

व्ही.टी.पी. कार्यालय : श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास रायगढ़ (छ.ग.)
प्रधान कार्यालय : रवि सदन, रवि विहार बस्तर बाड़ा रायपुर (छ.ग.)

सम्पर्क करें-9589876400, 9039961090

E-mail ID- sjunion29@gmail.com website : www.sjunion.org